न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :- 112/2021

1. शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पाटोन्दा तहसील अंता जिला बारां
2. सलमा बानो पुत्री अलादीन खां जाति मुसलमान निवासी पाटोन्दा तहसील अंता जिला बारां

......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 14.09.2021 निर्णय दिनांक : 16.12.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं0 203 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 204 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीपल्दा पटवार हल्का उदपुरिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी क्रम 1 का नाम शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद के स्थान पर धन्नू बाई पुत्री गनी मोहम्मद एवं वादनी कम 2 का सलमा बानो पुत्री अलादीन खां के स्थान पर नन्ही बाई पुत्री अलादीन खां दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी कम 1 का वास्तविक नाम शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं वादनी कम 2 का वास्तविक नाम सलमा बानो पुत्री अलादीन खां है। जिसको वादीगण राजस्व रेकार्ड में धन्नू बाई पुत्री गनी मोहम्मद के स्थान पर शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं नन्ही बाई पुत्री अलादीन खां के स्थान पर सलमा बानो पुत्री अलादीन खां दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं सलमा बानो पुत्री अलादीन खां दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में धन्नू बाई पुत्री गनी मोहम्मद के स्थान पर शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं नन्ही बाई पुत्री अलादीन खां के स्थान पर सलमा बानो पुत्री अलादीन खां दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम धन्नू बाई पुत्री गनी मोहम्मद के स्थान पर शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं नन्ही बाई पुत्री अलादीन खां के स्थान पर सलमा बानो पुत्री अलादीन खां दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट कमांक :राजस्व/2022/1290 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार शमीम बानो पुत्री गन्नी मोहम्मद को शमीम बानो उफ धन्नू बाई के नाम से बोला जाता है, दोनो एक ही महिला के नाम है। इसी प्रकार सलमा बानो पुत्री अलादीन खां को नन्ही बाई उर्फ सलमा बानो के नाम से बोला जाता है दोनो नाम एक ही महिला के है । दोनो के पहचान पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड आदि में भी यही नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त वादीगण का नाम धन्नू उर्फ शमीम बानो एवं नन्ही उर्फ सलमा बानो सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो (पेनकार्ड इत्यादि) तथा बयान गवाहान वादनीगण स्वयं, याकूब अली पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पाटोन्दा एवं अली मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद जाति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

...मान निवासी पाटोन्दा के आधार पर आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं0 203 रकबा 0.78 है0, ...सरा नं0 204 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीपल्दा पटवार हल्का उदपुरिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी क्रम 1 का नाम धन्नू बाई पुत्री गनी मोहम्मद के स्थान पर धन्नू बाई उर्फ शमीम बानो पुत्री गनी मोहम्मद एवं वादनी क्रम 2 का नाम नन्ही बाई पुत्री अलादीन खां के स्थान पर नन्ही बाई उर्फ सलमा बानो पुत्री अलादीन खां दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में मजमेंआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner